अनुदान मांग 2025-26 का विश्लेषण

आवासन एवं शहरी मामले

संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अनुसार, राज्य स्थानीय सरकार पर कानून बना सकते हैं। संविधान के 74वें संशोधन ने नगर पालिकाओं के लिए एक व्यापक प्रशासनिक संरचना प्रदान की है और कुछ ऐसे कार्यों को सूचीबद्ध किया है जिन्हें राज्य नगर पालिकाओं को सौंपा जा सकता है। आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय शहरी विकास और शहरी आवास से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण है। यह अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।[1] मंत्रालय जिन प्रमुख क्षेत्रों में कार्य करता है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) शहर की प्लानिंग करना, (ii) शहरी रोजगार और शहरी गरीबी उन्मूलन, (iii) शहरी परिवहन प्रणालियों की योजना और समन्वय, (iv) आवास नीति का निर्माण, (v) जलापूर्ति, सीवरेज और स्वच्छता, और (vi) नगरपालिका के वित्त से जुड़े नीतिगत मामले और शहरी स्थानीय निकाय।[1]

इस नोट में आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के 2025-26 के प्रस्तावित बजट आवंटन की समीक्षा की गई है और कुछ संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया है।

वित्तीय स्थिति

2025-26 में आवंटन

2025-26 में मंत्रालय को 96,777 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 52% अधिक है।[2] यह केंद्र सरकार के कुल व्यय (जीडीपी का 0.3%) का लगभग 1.9% है। मंत्रालय ने अपने कुल बजट का 61% राजस्व मदों पर और शेष पूंजीगत मदों पर खर्च करने की योजना बनाई है। 2024-25 में संशोधित अनुमान चरण में राजस्व व्यय वर्ष के बजट अनुमान (53,948 करोड़ रुपए) से 41% कम था। यह मुख्य रूप से पीएम आवास योजना- शहरी (55% कम उपयोग) पर कम खर्च के कारण था।

तालिका 1: आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के लिए आवंटन (करोड़ रुपए में)

	2023-24 वास्तविक	2024-25 संअ	2025-26 बअ	संअ 24-25 से बअ 25-26 में परिवर्तन का %
राजस्व	42,124	32,008	59,154	85%
पूंजी	26,441	31,662	37,623	19%
कुल	**68,565**	**63,670**	**96,777**	**52%**

नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान। स्रोत: व्यय बजट, आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय बजट 2025-26; पीआरएस।

व्यय की मुख्य मदें

मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मेट्रो परियोजनाओं के विकास के लिए अपने कुल बजट का 36% आवंटित किया है। मंत्रालय के तहत पीएम आवास योजना- शहरी को दूसरा सबसे बड़ा आवंटन (24%) प्राप्त हुआ है (तालिका 2 देखें)। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), जिसका उद्देश्य शहरों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना है, (ii) स्मार्ट सिटीज मिशन, जिसका उद्देश्य 100 स्मार्ट शहरों को विकसित करना है, (iii) स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (एसबीएम-यू), और (iv) पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), जिसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, शहरी चुनौती कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

सृष्टि सिंह
shrusti@prsindia.org

11 मार्च, 2025

तालिका 2: मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन (करोड़ रुपए में)

	2023-24 वास्तविक	2024-25 संअ	2025-26 बअ	संअ 24-25 से बअ 25-26 में परिवर्तन का %
एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं	23,102	28,613	34,807	22%
पीएमएवाई-शहरी और पीएमएवाई 2.0	21,684	15,170	23,294	54%
अमृत	5,591	6,000	10,000	67%
शहरी चुनौती कोष	-	-	10,000	-
स्मार्ट सिटी मिशन	7,982	2,000	-	-
स्वच्छ भारत मिशन- शहरी	2,392	2,159	5,000	132%
औद्योगिक आवास योजना	-	-	2,500	-
पीएम ई-बस सेवा	1	500	1,310	162%
पीएम-स्वनिधि	445	450	373	

नोट: बअ- बजट अनुमान; संअ- संशोधित अनुमान; अमृत का अर्थ है अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन; पीएम स्वनिधि का अर्थ है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि; पीएमएवाई का अर्थ है पीएम आवास योजना- शहरी। स्रोत: व्यय बजट, आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय बजट 2025-26; पीआरएस।

धनराशि उपयोग

2012-13 से अब तक ज़्यादातर वर्षों में मंत्रालय ने बजट चरण में अनुमानित पूरी राशि का उपयोग नहीं किया है। अपवाद 2021-22 में था, जब पीएम आवास योजना शहरी (51,963 करोड़ रुपए) पर खर्च बढ़ने के कारण मंत्रालय का कुल व्यय 96% (52,259 करोड़ रुपए) बढ़ गया था। यह कोविड के दौरान आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के तहत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल का एक हिस्सा था।[3]

रेखाचित्र 1: धनराशि आवंटन एवं उपयोग (करोड़ रुपए में)

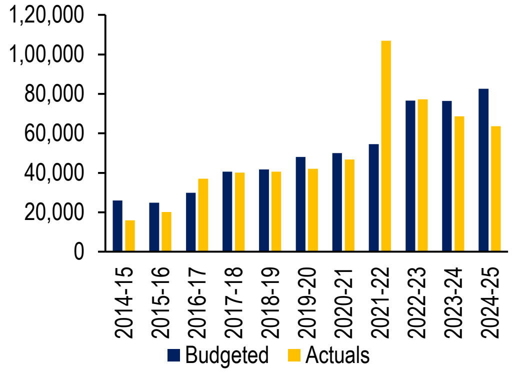

नोट: 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान वास्तविक माने गए हैं। स्रोत: व्यय बजट, आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, विभिन्न वर्षों का केंद्रीय बजट; पीआरएस।

भारत में शहरीकरण

2011 तक देश की लगभग 31% (377.1 मिलियन) आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती थी।[4] 2022 में गठित शहरी नियोजन पर एक उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष: श्री केशव वर्मा) ने कहा था कि 2050 तक देश की 50% से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही होगी।[5] भारत की जनगणना शहरी क्षेत्रों को इस प्रकार वर्गीकृत करती है:[6]

- **जनगणना शहर** वे स्थान होते हैं (i) जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 5,000 व्यक्ति हो, (ii) जिनकी कम से कम 75% कार्यशील जनसंख्या गैर-कृषि कार्यों में लगी हो, और (iii) जिनका जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 प्रति वर्ग किमी हो।
- **वैधानिक शहर** वे स्थान होते हैं जहां नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति होती है। 2011 में, देश में 4,041 वैधानिक शहर थे।
- **शहरी समूह (यूए)** एक सतत शहरी फैलाव है जिसमें एक शहर और उसके आस-पास के बाहरी इलाके शामिल हैं। इसमें कम से कम एक वैधानिक शहर शामिल होना चाहिए और 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल आबादी 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। उदाहरणों में ग्रेटर मुंबई यूए, दिल्ली यूए आदि शामिल हैं।

- किसी कस्बे का **आउट ग्रोथ (ओजी)** बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के मामले में शहरी विशेषताओं से युक्त होता है, जैसे पक्की सड़कें, बिजली, सीवेज, आदि और यह यूए के मुख्य शहर से भौतिक रूप से सटा होता है।

2011 तक लगभग 84.5% शहरी आबादी वैधानिक कस्बों में रहती थी, जबकि 14.4% जनगणना कस्बों में रहती थी (राज्यवार शहरीकरण स्तरों के लिए अनुलग्नक में तालिका 9 देखें)। नियोजित शहरी सेवाओं की अनुपस्थिति और विकास संबंधी रेगुलेशंस के अभाव में अधिकांश शहरी विकास वैधानिक कस्बों की सीमाओं के बाहर होता है।[5] 2001 और 2011 के बीच वैधानिक कस्बों में 6% की वृद्धि की तुलना में जनगणना कस्बों की संख्या में 186% की वृद्धि हुई है। 2022 में उच्च स्तरीय समिति ने सुझाव दिया था कि राज्यों को वैधानिक नियोजन प्राधिकरणों का गठन करना चाहिए और सभी शहरी और शहरीकरण क्षेत्रों को कवर करने के लिए उनकी सीमाओं का विस्तार करना चाहिए।[5]

नीति आयोग की रिपोर्ट (2022) के अनुसार, भारतीय शहर देश की जीडीपी में लगभग 60% योगदान देते हैं।[7] रिपोर्ट (2022) में यह भी पाया गया था कि किसी जिले में शहरी आबादी के हिस्से में एक प्रतिशत की वृद्धि के साथ, जिले की जीडीपी में 2.7% की वृद्धि हो सकती है।[7] शहर कंपनियों और श्रमिकों को एक साथ लाकर और कई चैनलों के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाकर सामूहिक अर्थव्यवस्थाएं उत्पन्न करते हैं।[7]

हालांकि रिपोर्ट (2022) में यह भी कहा गया था कि इस तरह की समूह अर्थव्यवस्थाओं का लाभ बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और पुणे जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित है।[7] अन्य शहरों में विकास कई दूसरे कारकों से प्रभावित हो रहा है जैसे (i) शहरी अवसंरचना में अपर्याप्त निवेश, (ii) यूएलबी और पैरास्टेटल्स के बीच जिम्मेदारियों का ओवरलैप और विखंडन, और (iii) शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में व्यापार और निवेश के अनुकूल माहौल की कमी।[7] इसके अलावा, शहरी-ग्रामीण संबंध भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहायता करते हैं।[8] उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्र बेहतर बाजार और आय विविधीकरण के अवसर प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों को श्रम का एक समुच्चय भी प्रदान करते हैं। इसलिए, शहरी अवसंरचना में निवेश जो शहरों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, वह अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आय को भी प्रभावित करता है।

विचारणीय मुद्दे

अनियोजित विकास और विस्तार

नीति आयोग के अनुसार, 7,933 शहरी कस्बों (जनगणना और वैधानिक कस्बों सहित) में से केवल 28% (2,216) को 2021 के मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई थी (तालिका 3 देखें)।[9] मास्टर प्लान के अभाव में विकास और निर्माण अव्यवस्थित होता है, यातायात की भीड़ होती है, बाढ़ का खतरा बढ़ता है, पहल टुकड़े-टुकड़े में की जाती है, और शहरी फैलाव होता है।[9]

तालिका 3: जनगणना और वैधानिक शहरों के लिए मास्टर प्लान की स्थिति, 2021

कस्बे की श्रेणी	कस्बों की संख्या	स्वीकृत मास्टर प्लान	निर्माणाधीन मास्टर प्लान	मास्टर प्लान रहित कस्बों का %
वैधानिक शहर	4,041	1,566	359	52%
जनगणना शहर	3,892	650	268	76%
कुल	**7,933**	**2,216**	**627**	**64%**

स्रोत: भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार, नीति आयोग, सितंबर 2021; पीआरएस।

शहरी स्थानीय निकायों की तकनीकी क्षमता

नीति आयोग (2021) ने कहा है कि देश में शहरी योजनाकारों की संख्या अपर्याप्त है।[9] उसने 8,268 शहरी योजनाकारों की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान लगाया है।[9] 2022 की उच्च स्तरीय समिति ने 2030 तक 20,000 शहरी योजनाकारों की आवश्यकता का अनुमान लगाया था, जबकि वर्तमान में 2,000 से भी कम शहरी योजनाकार उपलब्ध हैं।[5] उसका कहना था कि शहरी आबादी के लिए शहरी योजनाकारों का अनुपात कम है और

यह 1:5,00,000 से 1:10,00,000 तक है, जबकि अनुशंसित अनुपात 1:30,000 से 1:50,000 है।[5]

तकनीकी क्षमता में सुधार के लिए 2022 की उच्च स्तरीय समिति ने राज्यों को अधिक शहरी योजनाकारों और बहु-विषयक विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए धन आवंटित करने का सुझाव दिया था।[5] उसने यह सुझाव भी दिया था कि राज्य अपने नगर नियोजन कानूनों में संशोधन करें और केंद्र द्वारा निर्धारित मॉडल दिशानिर्देशों के आधार पर अपने नगर नियोजन विभागों का पुनर्गठन करें।

शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता

शहरी स्थानीय निकायों को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होती है। हालांकि भारतीय शहरों की राजस्व सृजन क्षमता और बढ़ते खर्च के बीच तालमेल बनाना मुश्किल हो रहा है।[10] ऐसे असंतुलन के कारण भारतीय शहरी स्थानीय निकाय वित्तीय स्वायत्तता के मामले में विश्व में सबसे कमज़ोर बन गए हैं।[10]

नगरपालिकाओं का राजस्व/व्यय 10 वर्षों से अधिक समय से जीडीपी के लगभग 1% पर स्थिर है।[10] इसकी तुलना में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के नगरपालिका व्यय/राजस्व उनकी जीडीपी का क्रमशः 7.4% और 6% हैं।[10] 2023-24 में नगर निगमों की राजस्व प्राप्तियां जीडीपी के 0.6% पर रहीं, जो राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों (जीडीपी का 14.6%) की तुलना में कम है (नगर निगम प्राप्तियों की राज्यवार स्थिति के लिए अनुलग्नक में तालिका 10 देखें)।[11]

नगर निगमों का स्वयं कर राजस्व 2016-17 में उनकी राजस्व प्राप्तियों के 43% से घटकर 2023-24 (बअ) में उनकी राजस्व प्राप्तियों का 30% रह गया है (रेखाचित्र 2 देखें)।[11] हालांकि कर राजस्व में गिरावट आ रही है, फिर भी नगर निगमों के लिए स्वयं के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा कर राजस्व ही है। इसमें संपत्ति कर, जल कर, बिजली शुल्क, व्यवसाय कर, मनोरंजन कर और विज्ञापन कर (जिनमें से कुछ को जीएसटी के तहत शामिल किया गया था, जीएसटी के प्रभाव पर बॉक्स देखें) जैसे स्रोतों से राजस्व शामिल है।[10] शहरी स्थानीय निकाय अपना अधिकांश राजस्व संपत्ति करों से अर्जित करते हैं। शहरी अचल संपत्ति कर से राजस्व संग्रह के मामले में भारत की तुलना अन्य ओईसीडी देशों से बदतर है।[12] जबकि जीडीपी के अनुपात के रूप में संपत्ति कर से औसत संग्रह ओईसीडी समूह में लगभग 1.1% और विकासशील देशों में 0.7% था, भारत में यह अनुपात केवल 0.2% था।[12]

इसकी तुलना में केंद्र और राज्य सरकारों से शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरण का हिस्सा 2016-17 में 24% से बढ़कर 2023-24 में 38% हो गया है।[11] आरबीआई (2024) ने कहा था कि यह सरकार के उच्च स्तरों पर नगर निगमों की बढ़ती निर्भरता को इंगित करता है।[11] उसने यह भी कहा था कि कर दरों और उपयोगकर्ता शुल्क को समायोजित करने के लिए सीमित राजकोषीय स्वायत्तता के साथ-साथ कर्मचारियों की कमी और खराब कवरेज शहरी क्षेत्रों में खराब सेवा वितरण का कारण बनते हैं।[11]

नगर निगम के वित्त पर जीएसटी का प्रभाव

2017 में प्रवेश कर, चुंगी, मनोरंजन कर और विज्ञापन कर जैसे कई नगरपालिका करों को जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। इसका असर यूएलबी के खुद के राजस्व स्रोतों पर पड़ा।[11] 2017-18 के बाद से नगर निगमों के कुल राजस्व में स्वयं कर राजस्व का हिस्सा कम हो गया है (रेखाचित्र 2 देखें)। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) एक्ट, 2017 में जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में नुकसान के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया था। हालांकि स्थानीय सरकारों को यह क्षतिपूर्ति नहीं दी गई।[11] महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने चुंगी के नुकसान और केरल ने मनोरंजन कर के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति की घोषणा की।[11]

रेखाचित्र 2: नगर पालिकाओं की स्वयं राजस्व जुटाने की क्षमता में गिरावट आई है (% में)

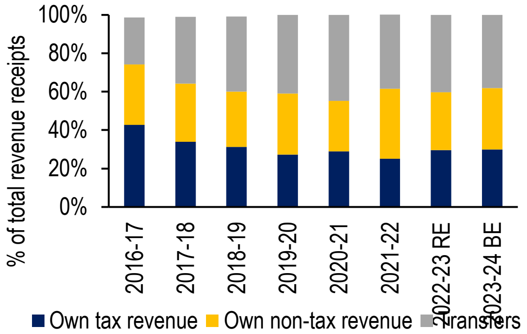

स्रोत: नगर निगम वित्त पर रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक; पीआरएस।

गवर्नेंस संबंधी मुद्दे/शक्तियों का ओवरलैप होना

संविधान की बारहवीं अनुसूची में स्थानीय निकायों को सौंपे जाने वाले 18 कार्यों की सूची दी गई है। इनमें (i) शहरों की प्लानिंग, (ii) घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जलापूर्ति, (iii) झुग्गी-झोपड़ियों की बेहतरी और उन्नति, (iv) गरीबी उन्मूलन और (v) स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का प्रावधान जैसे कार्य शामिल हैं। हालांकि इन कार्यों का हस्तांतरण संबंधित राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। 74वें संशोधन से पहले ये कार्य राज्य सरकार के अधीन नागरिक एजेंसियों (या पैरास्टेटल्स) द्वारा किए जाते थे (उदाहरणों में राज्य स्वच्छता और सीवरेज बोर्ड, झुग्गी-बस्ती उन्मूलन बोर्ड, नगर और ग्राम नियोजन विभाग शामिल हैं)। 74वें संशोधन के बाद राज्यों ने शहरी स्थानीय निकायों के निर्माण के लिए कानून पारित किए हैं, फिर भी ये पैरास्टेटल्स मौजूद हैं। ये पैरास्टेटल्स शहरी-स्थानीय निकायों से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और सीधे राज्य सरकारों के प्रति जवाबदेह होते हैं।[13] इस प्रकार नगरपालिका के कार्य अभी भी निर्वाचित नगरपालिका प्रतिनिधियों के बजाय राज्य द्वारा नियुक्त पैरास्टेटल्स द्वारा किए जा रहे हैं, जो संविधान में परिकल्पित हस्तांतरण के उद्देश्य को विफल करता है। कुछ मामलों में, नगर निकायों को सौंपे गए कार्यों और पैरास्टेटल्स द्वारा किए जा रहे कार्यों में ओवरलैप भी हो सकता है।

74वें संशोधन के तहत नगरपालिकाओं की प्रस्तावित प्रशासनिक संरचनाओं को भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, संविधान में प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र में एक महानगर नियोजन समिति (एमपीसी) की स्थापना का प्रावधान किया गया है। हालांकि 15वें वित्त आयोग (2019) के लिए तैयार किए गए एक अध्ययन में पाया गया था कि अधिकांश शहरों में विकास नियोजन का काम विकास प्राधिकरणों (पैरास्टेटल्स) द्वारा किया जाता है।[10] इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि नियोजन कार्यों के ओवरलैप ने अधिकांश महानगरीय क्षेत्रों में एमपीसी को निष्क्रिय बना दिया है।[10]

शहरी परिवहन व्यवस्था

आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय नोडल मंत्रालय है जो शहरी परिवहन की योजना और समन्वय का काम देखता है।[14] राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति (एनटीडीपीसी, 2014) ने कहा था कि परिवहन में निवेश अपने आप में एक आर्थिक वाहक है।[15] एनटीडीपीसी (2014) ने कहा था कि भारत में बहुत कम शहरों में सार्वजनिक परिवहन का आयोजन, पंजीकरण और रेगुलेशन किया गया है।[18] उसने यह भी कहा था कि शहरी क्षेत्रों में परिवहन के मोडल हिस्से पर निर्णायक डेटा का अभाव है।[18] 2011 की जनगणना के अनुसार, शहरी कामकाजी आबादी के लिए पैदल चलना (24%) आवागमन का सबसे प्रमुख तरीका है (तालिका 4 देखें)।[6]

तालिका 4: शहरी कार्यशील आबादी का कार्यस्थल तक पहुंचने का माध्यम

कार्यस्थल तक पहुंचने का माध्यम	% हिस्सा
यात्रा नहीं करनी पड़ती	24.5%
पैदल	23.6%
स्कूटर/मोटर साइकिल	16.0%
ट्रेन और बस	15.2%
साइकिल	13.3%
कार/जीप/वैन	3.5%
अन्य	3.9%

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011; पीआरएस।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने कहा था कि भारत के कई शहर मोडल स्प्लिट में असंतुलन और अपर्याप्त परिवहन अवसंरचना के कारण यात्रा

की बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं।[16] एनटीडीपीसी (2014) ने भी कहा था कि शहरी परिवहन अपर्याप्त, अनियमित और अविश्वसनीय बना हुआ है।[15]

2003 से 2022 के बीच पंजीकृत वाहनों की संख्या में 9.2% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ोतरी हुई है।[17] जबकि पंजीकृत दोपहिया वाहनों और कारों, जीपों और टैक्सियों की संख्या में क्रमशः 9.4% और 9.6% की वृद्धि हुई है, देश में बसों की संख्या में वृद्धि 5.9% से कम रही है। 2022-23 में 31.2 करोड़ दोपहिया और चारपहिया वाहन और 21 लाख बसें थीं। एनटीडीपीसी (2014) ने विभिन्न परिवहन साधनों के एक स्थायी मिश्रण को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वजनिक परिवहन और पैदल यात्रा की अवसंरचना में रणनीतिक निवेश का सुझाव दिया था।[15]

2023-24 में एक औसत शहरी परिवार अपने कुल उपभोग का 8.5% परिवहन पर खर्च करता था।[18] गैर-खाद्य व्यय में परिवहन का हिस्सा सबसे अधिक रहा, उसके बाद मनोरंजन (6.9%), टिकाऊ वस्तुओं (6.9%) और किराये (6.6%) का स्थान रहा।[18] 2023-24 में एक शहरी परिवार का मासिक प्रति व्यक्ति व्यय 6,996 रुपए था। इसमें से 592 रुपए परिवहन पर खर्च किए गए।[18] शहरी क्षेत्रों में कुल उपभोग में परिवहन का हिस्सा भी 1999-2000 से 2023-24 के बीच बढ़ा है (रेखाचित्र 3 देखें)।

रेखाचित्र 3: मासिक खपत में परिवहन पर व्यय बढ़ा

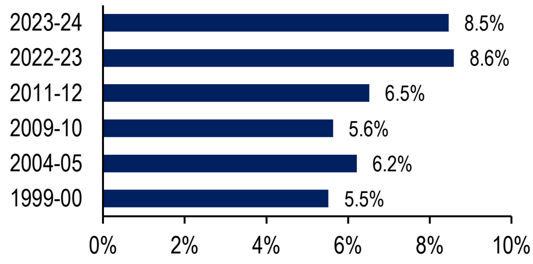

स्रोत: घरेलू उपभोग और व्यय सर्वेक्षण, 2023-24, एमओएसपीआई; पीआरएस।

मेट्रो और मास रैपिड ट्रांसपोर्ट पर व्यय मंत्रालय द्वारा किया गया सबसे अधिक व्यय है

2025-26 में मंत्रालय द्वारा अपने कुल बजट का 36% (34,807 करोड़ रुपए) शहरी क्षेत्रों में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) और मेट्रो परियोजनाओं पर खर्च करने का अनुमान है। 2017-18 और 2024-25 के बीच एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाओं पर वास्तविक व्यय 9.6% की वार्षिक दर से बढ़ा है (रेखाचित्र 4 देखें)। इसकी तुलना में 2025-26 के लिए पीएम ई-बस सेवा पर व्यय 1,310 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2024-25 में इस योजना के लिए आवंटित 1,300 करोड़ रुपए के मुकाबले संशोधित अनुमानों के अनुसार केवल 500 करोड़ रुपए के उपयोग का अनुमान है।

रेखाचित्र 4: शहरी क्षेत्रों में एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन बनाम उपयोग (करोड़ रुपए में)

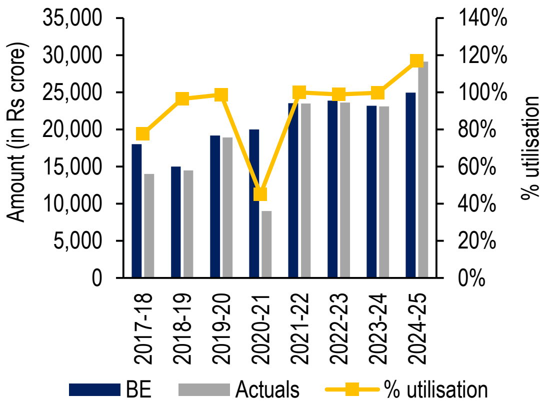

स्रोत: विभिन्न वर्षों के बजट दस्तावेज; पीआरएस।

आवासन और शहरी मामलों से संबंधितस स्टैंडिंग कमिटी (2024) ने कहा था कि मेट्रो रेल प्रणाली छोटे शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक पूंजी-गहन और लाभहीन है।[19] उसने सुझाव दिया था कि मंत्रालय को बस रैपिड ट्रांजिट, लाइट रेल ट्रांजिट और क्षेत्रीय रेल जैसे लागत प्रभावी और व्यवस्था योग्य मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को प्राथमिकता देनी चाहिए।[19] ये एमआरटी प्रणालियां टियर 2 और टियर 3 शहरों की मांग और जनसंख्या के लिए अधिक उपयुक्त हैं।[19] दिसंबर 2024 तक आठ राज्यों में 457 किमी चालू बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मौजूद हैं।[19] इसके अलावा 10 राज्यों में 990 किमी चालू मेट्रो रेल नेटवर्क मौजूद है, और 974 किमी मेट्रो रेल नेटवर्क के निर्माण को मंजूरी दी गई है।[19]

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कहा गया है कि केवल 37% शहरी निवासियों के पास सार्वजनिक

परिवहन तक सुविधाजनक पहुंच है।[20] इसकी तुलना में ब्राज़ील और चीन जैसे अन्य देशों में 50% से अधिक शहरी निवासियों के पास सार्वजनिक परिवहन तक आसान पहुंच है।[20] सर्वेक्षण (2024-25) में कहा गया है कि भारत को यातायात की भीड़ को कम करने, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और स्वच्छ गतिशीलता के लाभों को समान रूप से वितरित करने के लिए एक मजबूत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करनी चाहिए।[20] नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 2018 में दिल्ली, मुंबई, बेंगलूर और कोलकाता में यातायात की भीड़ की कुल अनुमानित लागत 23 बिलियन USD थी।[21]

ग्लोबल मोबिलिटी समिट 2018 के एक हिस्से के रूप में नीति आयोग ने भारत में शेयर्ड मोबिलिटी में निवेश करने का भी सुझाव दिया था।[22] शेयर्ड मोबिलिटी को परिवहन के किसी भी ऐसे तरीके के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे उपयोगकर्ता ज़रूरत के आधार पर साझा करते हैं।[22] उदाहरणों में राइडशेयरिंग, निजी वाहनों के लिए राइडर्स को काम पर रखना, राइड स्प्लिटिंग और मास ट्रांज़िट (मेट्रो, बसें और ट्रेनें) शामिल हैं।[22]

शहरी आवास

2011 की जनगणना के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में कुल आवास की कमी 1.87 करोड़ आंकी गई थी।[23] इसमें से 56% की कमी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) में, 39% कम आय वर्ग (एलआईजी) में और 4% मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) और उससे ऊपर के वर्ग में अनुमानित थी (शहरी आवास की कमी के राज्यवार अनुमान के लिए अनुलग्नक में तालिका 11 देखें)।[23]

आवास की कमी को दूर करने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य निजी एजेंसियों, राज्य सरकारों और अर्ध-सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी में आवास उपलब्ध कराना था। इसका लक्ष्य 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था, जिसे बाद में दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया। अगस्त 2024 में, कैबिनेट ने पीएमएवाई-यू 2.0 को मंजूरी दी, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक करोड़ घर बनाना है।[24]

पीएमएवाई-यू में चार घटक शामिल हैं जिनके तहत वित्तपोषण प्रदान किया जाता है:

(i) शहरी क्षेत्रों में मौजूदा झुग्गी-झोपड़ी निवासियों के लिए निजी भागीदारी के माध्यम से इन-सीटू-स्लम-पुनर्वास (आईएसएसआर) (झुग्गी-झोपड़ियों के अंतर्गत मौजूदा भूमि का उपयोग करके झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को घर उपलब्ध कराना),

(ii) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/शहरों और निजी क्षेत्र और उद्योगों के बीच साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी),

(iii) ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना (सीएलएसएस), और

(iv) लाभार्थी के नेतृत्व वाले निर्माण/संवर्धन (बीएलसी) के लिए सबसिडी।

पीएमएवाई-यू 2.0 में पुरानी योजना के बीएलसी और एएचपी घटक को बरकरार रखा गया है।[25] इसके अलावा दो नए घटक पेश किए गए हैं: (i) कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों और शहरी प्रवासियों के लिए किराये के आवास बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ किफायती किराये के आवास, और (ii) ब्याज सबसिडी योजना जिसके तहत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी परिवारों के लिए 25 लाख रुपए तक के होम लोन पर 4% ब्याज सबसिडी।[26] अगस्त 2024 से शुरू होने वाले पांच वर्षों में इस योजना के तहत कुल निवेश 10,00,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें 2,30,000 करोड़ रुपए की सरकारी सबसिडी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की लागत मंत्रालय, राज्य और लाभार्थियों के बीच साझा की जाएगी।

तालिका 5: पीएमएवाई-यू 2.0 में केंद्र और राज्य का हिस्सा

	बीएलसी और एएचपी	किफायती किराये का आवास	ब्याज सबसिडी योजना
केंद्र	निजी डेवलपर्स को प्रति इकाई 1.5 लाख रुपए और प्रति आवास इकाई 1,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर का टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अनुदान	प्रति इकाई 3,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर	केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में प्रति इकाई 1.8 लाख रुपए तक होम लोन सबसिडी
राज्य	1 लाख रुपए प्रति यूनिट	प्रति इकाई 2,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर	-

स्रोत: योजना दिशानिर्देश, पीएमएवाई-यू 2.0, आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय; पीआरएस।

2025-26 में मंत्रालय ने पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-2.0 के लिए 23,294 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं (तालिका 6 देखें)। इस योजना के तहत स्वीकृत मकानों को पूरा करने के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता के रूप में 17,357 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। संशोधित अनुमान के अनुसार 2024-25 में पीएमएवाई-यू पर 13,670 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जो बजट अनुमान से 55% कम है।

पीएमएवाई 2.0 के लिए 2025-26 में 3,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। औद्योगिक आवास पर नई योजना के लिए 2,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

तालिका 6: पीएम-आवास योजना शहरी और पीएमएवाई-यू 2.0 के लिए बजटीय आवंटन

	2023-24 वास्तविक	2024-25 संअ	2025-26 बअ	2024-25 संअ से 2025-26 बअ में परिवर्तन का %
पीएमएवाई-यू	21,684	13,670	19,794	45%
पीएमएवाई 2.0	-	1,500	3,500	133%
कुल	**21,684**	**15,170**	**23,294**	

स्रोत: मांग संख्या 60, आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, व्यय बजट, 2025-26; पीआरएस।

योजना की स्थिति

27 जनवरी, 2025 तक 1.18 करोड़ मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं और 90.25 लाख (76%) का निर्माण हो चुका है (घटक-वार पूर्णता दर के लिए रेखाचित्र 5 देखें)।[27] इन पूर्ण हो चुके मकानों में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत पूरे किए गए 3.4 लाख मकान भी शामिल हैं। हालांकि राज्यों में पूर्णता दर अलग-अलग रही है (राज्यवार प्रगति के लिए अनुलग्नक में तालिका 12 देखें)। पीएमएवाई के तहत पहले से स्वीकृत मकानों (जनवरी 2025 तक) और पीएमएवाई 2.0 के तहत स्वीकृत अतिरिक्त मकानों के अनुसार, मंत्रालय का लक्ष्य शहरी गरीबों को 2.18 करोड़ मकान उपलब्ध कराना है। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुमानित आवास की कमी शामिल है, लेकिन खाली पड़े मकान और निर्मित मकानों की गुणवत्ता जैसे मुद्दे अभी भी कायम हैं।

जनवरी 2025 तक योजना के अंतर्गत 84% केंद्रीय सहायता को राज्यों को जारी कर दिया गया है। आवास से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2024) ने कहा था कि राज्यों द्वारा कम अनुपालन के कारण

योजना के अंतर्गत राज्यों को कम धन जारी किया गया है।[28]

रेखाचित्र 5: पीएमएवाई-यू के अंतर्गत घटक-वार आवास निर्माण की स्थिति

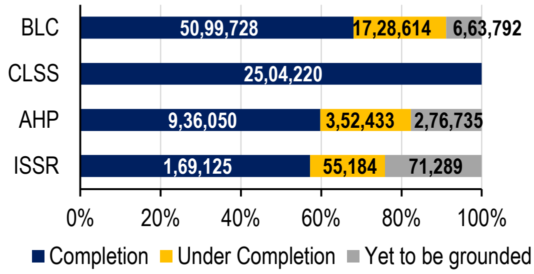

स्रोत: पीएमएवाई-यू उपलब्धि, आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय; पीआरएस।

आवासन और शहरी मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2024) ने कहा था कि आईएसएसआर और एएचपी वर्टिकल के तहत निर्मित 9.7 लाख मकानों में से 4.6 (47%) लाख खाली पड़े हैं (तालिका 7 देखें)।[28]

आवासन और शहरी मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2024) ने कहा था कि मकानों के खाली रहने के कई कारण हैं (जैसा कि राज्यों द्वारा बताया गया है)। उदाहरण के लिए, अधूरा बुनियादी ढांचा, मकानों को आवंटित न किया जाना और आवंटियों की अनिच्छा।[28] इसके अतिरिक्त राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे मकानों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करें और उनकी लागत वहन करें, जिन्हें वे अपने संसाधनों से प्रदान करने में असमर्थ रहे हैं।[28]

तालिका 7: पीएमएवाई-यू के एएचपी और आईएसएसआर वर्टिकल के तहत मकानों की स्थिति

स्थिति	एएचपी	आईएसएसआर
स्वीकृत	15,65,218	1,84,619
ग्राउंडेड	13,79,804	1,13,622
पूर्ण	9,01,953	67,806
कब्जा	4,89,552	20,296
खाली	4,12,401	47,510

स्रोत: रिपोर्ट संख्या 1, आवासन और शहरी मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी, लोकसभा, 10 दिसंबर, 2024; पीआरएस।

किराये के आवास

पीएमएवाई-शहरी के तहत किफायती किराया आवास योजना को दो मॉडलों के माध्यम से लागू किया जाता है। पहले में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और राजीव आवास योजना के तहत निर्मित मौजूदा खाली मकानों को सार्वजनिक निजी भागीदारी या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किफायती किराया आवास परिसरों (एआरएचसी) में परिवर्तित किया जाता है। दूसरे में, सार्वजनिक/निजी एजेंसियों द्वारा खाली जमीन पर नए एआरएचसी का निर्माण किया जाता है। मॉडल-1 के तहत जनवरी 2025 तक 5,648 मौजूदा खाली मकानों को एआरएचसी में बदल दिया गया है।[29] मॉडल-2 के तहत, मंत्रालय ने सात राज्यों में 82,273 नई एआरएचसी इकाइयों के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें से 35,425 पूरी हो चुकी हैं और शेष निर्माणाधीन हैं।

शहरी आवास की कमी पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट (2012) ने अनुमान लगाया था कि शहरी आवासों में किराए के मकानों की कमी 70 लाख है। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा था कि शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराए के प्रावधान के बिना शहरी आवासहीनता का पूर्ण उन्मूलन नहीं किया जा सकता है।[30] शहरी विकास मंत्रालय (2011) द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति ने भी निम्न आय वर्ग के लिए किराये के आवास को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया था।[31]

जमीन और निर्माण की बढ़ती लागत

आवासन और शहरी मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2024) ने कहा था कि मौजूदा वित्त पोषण पैटर्न और लाभार्थियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता मुद्रास्फीति और आवास निर्माण की बढ़ती लागत के कारण अपर्याप्त हो सकती है।[28] कमिटी ने दिसंबर 2024 में सुझाव दिया था कि मंत्रालय पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के तहत आवास परियोजनाओं की लागत संरचना की व्यापक समीक्षा करे और लाभार्थियों को वित्तीय सहायता बढ़ाए।[28]

शहरी क्षेत्रों में सेवाओं का वितरण

आवासन एवं शहरी मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी (2023) ने कहा था कि भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण के साथ ही बुनियादी शहरी सेवाओं की आपूर्ति में आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई

है।[32] इनमें (i) जलापूर्ति, (ii) सीवरेज और जल निकासी नेटवर्क, (iii) ठोस/तरल जल प्रबंधन सुविधाएं, (iv) सार्वजनिक सुरक्षा प्रणालियां और (v) पैदल यात्री मार्ग जैसी सेवाएं शामिल हैं। कमिटी ने कहा कि भारत में शहरीकरण की एक मुख्य चुनौती न्यूनतम मानकों पर सेवाएं प्रदान करना है।

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट (2022) में अनुमान लगाया गया है कि 2036 तक (2020 की कीमतों पर) शहरी अवसंरचना और नगरपालिका सेवाओं में 840 बिलियन USD के पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी।[33] यह 2022 और 2036 के बीच देश की जीडीपी के 1.18% के बराबर होगा। इसमें से, बुनियादी नगरपालिका सेवाओं में 450 बिलियन USD के निवेश की आवश्यकता है, जबकि बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए 300 बिलियन USD की आवश्यकता है। 2023-24 में मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर पारगमन और नागरिक सेवा वितरण पर जीडीपी का 0.13% खर्च किया था (रेखाचित्र 6 देखें)। इसकी तुलना में चीन ने 2000 से 2014 के बीच शहरी अवसंरचना पर जीडीपी का लगभग 2.8% निवेश किया था। 2015-16 और 2025-26 के बीच अमृत योजना, स्मार्ट सिटीज मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के तहत नागरिक सेवाओं के प्रावधान पर व्यय 11% की सीएजीआर से बढ़ा है।

रेखाचित्र 6: भारत में एमआरटीएस और नागरिक सेवा वितरण में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निवेश (नॉमिनल रूप में, करोड़ रुपए में)

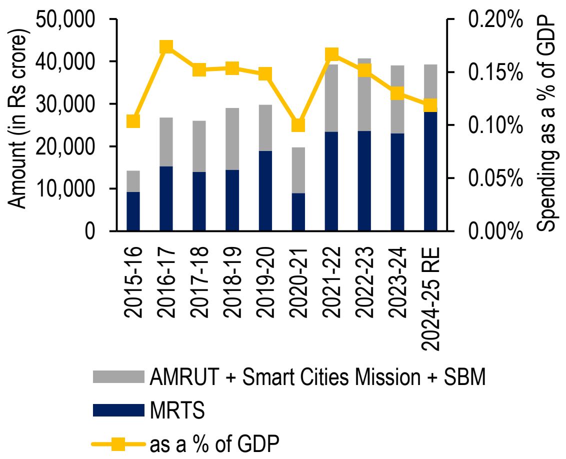

नोट: नागरिक सेवा वितरण पर निवेश में अमृत, स्मार्ट सिटीज मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर व्यय शामिल है। स्रोत: विभिन्न वर्षों के बजट दस्तावेज; एमओएसपीआई; पीआरएस।

मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित तीन योजनाओं का उद्देश्य भारतीय शहरों में सेवा स्तर में सुधार लाना है। ये हैं, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), स्मार्ट सिटीज मिशन और स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (एबीएम-यू)।

अमृत: देश भर के 500 शहरों और कस्बों में अवसंरचना विकास के लिए 2015 में अमृत योजना शुरू की गई थी।[34] इस योजना को 2021 में अमृत मिशन 2.0 में शामिल कर दिया गया।[35] 2025-26 में योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह 2024-25 के संशोधित अनुमानों से 67% अधिक है। 6 फरवरी, 2025 तक परियोजनाओं के लिए आवंटित 66,750 करोड़ रुपए में से 96% धनराशि पहले ही राज्यों को स्वीकृत की जा चुकी है।[36] अमृत 2.0 के तहत 1.2 लाख किलोमीटर जल नेटवर्क और 35,332 किलोमीटर सीवर नेटवर्क विकसित किया गया है।

स्मार्ट सिटीज़ मिशन: स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य ऐसे शहरों का विकास करना है जो बुनियादी ढांचे के साथ-साथ अपने नागरिकों को एक सभ्य जीवन स्तर, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करें और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से 'स्मार्ट' समाधान लागू करें। मिशन को 2015 में शुरू किया गया था और इसकी विस्तारित समय सीमा 31 मार्च, 2025 है।[37] जनवरी 2025 तक 100 शहरों ने मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 8,058 परियोजनाओं को शुरू किया है जिनमें से 1,50,017 करोड़ रुपए की कुल परियोजनाओं में से 93% पूरी हो चुकी हैं (मिशन के तहत राज्यवार प्रगति के लिए अनुलग्नक में तालिका 13 देखें)।[38] 2025-26 में परियोजनाओं की समय सीमा के करीब होने के कारण मिशन को धन आवंटित नहीं किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी: एसबीएम-यू का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करना है। एसबीएम-यू को 2014 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 2011 की जनगणना के अनुसार 2019 तक देश के सभी शहरों को स्वच्छ बनाना था। 2021 में मिशन को एसबीएम 2.0 के रूप में 2026 तक बढ़ा दिया गया था।[28] मिशन का लक्ष्य स्रोत पर कचरे को पूरी तरह अलग-अलग करना,

घर-घर कचरा एकत्रण और कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से शहरों को कचरा मुक्त स्थिति प्रदान करना है।[39] मिशन का कुल परिव्यय 1,41,600 करोड़ रुपए है जिसमें केंद्र का हिस्सा 36,465 करोड़ रुपए है (तालिका 8 देखें)। फरवरी 2025 तक शहरी क्षेत्रों में 91% वार्डों ने मिशन के तहत स्रोत पर शत प्रतिशत पृथक्करण का लक्ष्य हासिल कर लिया था, जबकि 98% वार्डों में प्रत्येक घर से कचरा एकत्रण किया जा रहा था।[40]

वर्ष 2023 में आवासन और शहरी मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी ने कहा था कि मंत्रालय एसबीएम-यू अंतर्गत कोई भौतिक या वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं कर रहा है।[32] इसलिए कमिटी (2023) ने सुझाव दिया था कि मंत्रालय को वर्ष 2023-24 से भौतिक और वित्तीय, दोनों लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।[32]

तालिका 8: एसबीएम - शहरी 2.0 के अंतर्गत घटक-वार धनराशि आवंटन (करोड़ रुपए में)

घटक	राज्य/यूएलबी/निजी क्षेत्र का हिस्सा	केंद्रीय हिस्सा
स्वच्छता (शौचालय तक पहुंच)	3,990	1,620
अपशिष्ट जल प्रबंधन	64,100	15,883
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	29,669	10,168
क्षमता निर्माण	3,702	6,332
एसबीएम के तहत कुल प्रतिबद्ध देयताएं	3,664	2,472
कुल	**1,05,135**	**36,465**

स्रोत: रिपोर्ट संख्या 1, आवासन और शहरी मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी, लोकसभा, 10 दिसंबर, 2024; पीआरएस।

2025-26 में इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 132% अधिक है, लेकिन 2024-25 के बजट अनुमान के समान है।

शहरी क्षेत्रों में सेवा वितरण की स्थिति

पेयजल

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सर्वेक्षण (2023) के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में लगभग 97% आबादी के पास 2020-21 में पेयजल के बेहतर स्रोतों तक पहुंच थी (राज्यवार सेवा वितरण स्तरों के लिए अनुलग्नक में तालिका 14 देखें)।[41] बेहतर पेयजल स्रोतों को ऐसे जल स्रोतों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके बाहरी संदूषण और मल पदार्थ से मुक्त होने की संभावना है।[42] स्रोतों में घरेलू कनेक्शन, सार्वजनिक स्टैंडपाइप, बोरहोल, संरक्षित खोदे गए कुएं, संरक्षित झरने और वर्षा जल संग्रह शामिल हैं। हालांकि केवल 76% शहरी परिवारों के पास घरेलू परिसर में पेयजल के बेहतर स्रोत थे जो पूरे वर्ष पर्याप्त रूप से उपलब्ध थे। यह पहुंच 2018 में 71% से बढ़कर 2020-21 में 76% हो गई है।[41] इसके अतिरिक्त केवल 58% शहरी आबादी को पूरे वर्ष पाइप द्वारा जल उपलब्ध हो पाता है।[41]

स्वच्छता और शौचालयों की सुविधा

वर्ष 2020-21 में लगभग 81% शहरी परिवारों की ऐसे शौचालयों तक पहुंच थी जिनका उपयोग विशेष रूप से उसी परिवार द्वारा किया जाता था, जबकि 13% परिवार ऐसे शौचालयों का उपयोग कर रहे थे, जिनका उपयोग उसी इमारत में रहने वाले परिवारों द्वारा किया जाता था।[41]

संविधान के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय करदाताओं को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।[43] हालांकि जैसा कि पहले चर्चा की गई है, कुछ राज्यों में पैरास्टेटल्स को नागरिक सेवाओं के प्रावधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे कई संस्थाओं को एक जैसे काम सौंपने के कारण सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है।[31]

अनुलग्नक

तालिका 9: शहरीकरण का स्तर (% में) और शहरों में जनगणना कस्बों की संख्या

राज्य	शहरीकरण का स्तर (% में)	जनगणना कस्बों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	38%	4
आंध्र प्रदेश	33%	228
अरुणाचल प्रदेश	23%	1
असम	14%	126
बिहार	11%	60
चंडीगढ़	97%	5
छत्तीसगढ़	23%	14
दादरा एवं नगर हवेली	47%	5
दमन और दीव	75%	6
गोवा	62%	56
गुजरात	43%	153
हरियाणा	35%	74
हिमाचल प्रदेश	10%	3
जम्मू एवं कश्मीर	27%	36
झारखंड	24%	188
कर्नाटक	39%	127
केरल	48%	461
लक्षद्वीप	78%	6
मध्य प्रदेश	28%	112
महाराष्ट्र	45%	278
मणिपुर	29%	23
मेघालय	20%	12
मिजोरम	52%	-
नगालैंड	29%	7
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	98%	110
ओड़िशा	17%	116
पुद्दूचेरी	68%	4
पंजाब	37%	74
राजस्थान	25%	112
सिक्किम	25%	1
तमिलनाडु	48%	376
त्रिपुरा	26%	26
उत्तर प्रदेश	22%	267
उत्तराखंड	30%	41
पश्चिम बंगाल	32%	780
भारत	**31%**	**3,892**

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011; पीआरएस।

तालिका 10: भारत में नगर निगमों की वित्तीय स्थिति (करोड़ रुपए में)

राज्य	राजस्व प्राप्तियां (2023-24 बअ)	जीडीपी के % के रूप में प्राप्तियां	राजस्व व्यय (2023-24 बअ)	जीडीपी के % के रूप में राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियों के % के रूप में स्वयं का राजस्व	राजस्व प्राप्तियों के % के रूप में स्वयं कर राजस्व
आंध्र प्रदेश	4,334	30%	3,732	26%	79%	38%
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
असम	-	-	-	-	-	-
बिहार	2,114	-	2,418	-	32%	22%
छत्तीसगढ़	1,775	35%	2,184	43%	56%	32%
दिल्ली	21,634	195%	20,947	189%	65%	30%
गोवा	76	-	72	-	91%	42%
गुजरात	16,290	-	13,187	-	73%	36%
हरियाणा	5,380	49%	3,616	33%	63%	24%
हिमाचल प्रदेश	132	6%	309	15%	84%	34%
जम्मू और कश्मीर	33	1%	459	19%	100%	-
झारखंड	535	-	711	-	86%	44%
कर्नाटक	9,905	40%	7,962	32%	87%	54%
केरल	2,423	-	3,212	-	34%	24%
मध्य प्रदेश	8,456	62%	6,690	49%	48%	32%
महाराष्ट्र	63,371	-	52,266	-	58%	24%
मणिपुर	-	-	-	-	-	-
मिजोरम	97	-	54	-	10%	6%
ओड़िशा	1,267	15%	1,061	12%	32%	15%
पंजाब	2,322	31%	2,301	31%	54%	35%
राजस्थान	2,972	19%	2,379	16%	47%	8%
सिक्किम	31	-	24	-	32%	4%
तमिलनाडु	8,834	32%	8,734	32%	63%	44%
तेलंगाना	4,762	32%	3,269	22%	90%	50%
त्रिपुरा	264	-	265	-	54%	4%
उत्तर प्रदेश	7,437	29%	7,963	31%	34%	22%
उत्तराखंड	568	16%	552	16%	27%	15%
पश्चिम बंगाल	5,711	34%	5,538	33%	76%	18%
कुल	**1,70,722**	**56%**	**1,49,903**	**49%**	**62%**	**30%**

स्रोत: आरबीआई म्यूनिसिपल फाइनांस रिपोर्ट, नवंबर 2024; पीआरएस।

तालिका 11: 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी (लाखों में)

राज्य	आवास की कमी (मिलियन में)
आंध्र प्रदेश	1.27
अरुणाचल प्रदेश	0.03
असम	0.28
बिहार	1.19
छत्तीसगढ़	0.35
दिल्ली	0.49
गोवा	0.06
गुजरात	0.99
हरियाणा	0.42
हिमाचल प्रदेश	0.04
जम्मू एवं कश्मीर	0.13
झारखंड	0.63
कर्नाटक	1.02
केरल	0.54
मध्य प्रदेश	1.1
महाराष्ट्र	1.94
मणिपुर	0.08
मेघालय	0.03
मिजोरम	0.02
नगालैंड	0.21
उड़ीसा	0.41
पुद्दूचेरी	0.07
पंजाब	0.39
राजस्थान	1.15
सिक्किम	0.01
तमिलनाडु	1.25
त्रिपुरा	0.03
उत्तर प्रदेश	3.07
उत्तराखंड	0.16
पश्चिम बंगाल	1.33
अंडमान और निकोबार द्वीप	0
चंडीगढ़	0.02
दादरा एवं नगर हवेली	0.05
दमन एवं दीव	0.01
लक्षद्वीप	0.01
कुल	**18.78**

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011; पीआरएस।

तालिका 12: प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत प्रगति (फरवरी 2025 तक)

राज्य	भौतिक प्रगति (आवासीय इकाइयां, संख्या)			वित्तीय प्रगति (करोड़ रुपए में)		
	स्वीकृति	पूर्णता	पूर्णता की दर	स्वीकृति	जारी	जारी सहायता का %
आंध्र प्रदेश	21,37,028	10,30,079	48%	32,568	23,800	73%
बिहार	3,14,477	1,70,997	54%	4,950	3,537	71%
छत्तीसगढ़	3,02,663	2,51,509	83%	4,811	4,267	89%
गोवा	3,146	3,145	100%	75	75	100%
गुजरात	10,05,204	9,37,731	93%	21,064	19,806	94%
हरियाणा	1,15,034	69,746	61%	2,172	1,674	77%
हिमाचल प्रदेश	12,758	11,045	87%	216	212	98%
झारखंड	2,29,156	1,54,278	67%	3,603	3,116	86%
कर्नाटक	6,38,121	3,86,370	61%	10,614	7,277	69%
केरल	1,67,322	1,31,218	78%	2,781	2,377	85%
मध्य प्रदेश	9,61,147	8,47,378	88%	15,930	15,555	98%
महाराष्ट्र	13,64,923	8,82,715	65%	25,548	19,323	76%
ओड़िशा	2,03,380	1,58,388	78%	3,177	2,575	81%
पंजाब	1,32,235	95,561	72%	2,343	1,949	83%
राजस्थान	3,19,877	2,18,655	68%	5,892	4,984	85%
तमिलनाडु	6,80,347	5,97,450	88%	11,185	10,338	92%
तेलंगाना	2,50,084	2,23,329	89%	4,476	3,807	85%
उत्तर प्रदेश	17,76,823	16,75,092	94%	27,963	27,118	97%
उत्तराखंड	64,391	39,002	61%	1,177	989	84%
पश्चिम बंगाल	6,68,953	4,45,199	67%	10,774	8,192	76%
अरुणाचल प्रदेश	8,499	8,066	95%	182	161	88%
असम	1,76,643	1,18,928	67%	2,674	2,105	79%
मणिपुर	56,037	16,719	30%	841	497	59%
मेघालय	4,758	1,835	39%	72	48	67%
मिजोरम	39,605	24,243	61%	608	477	79%
नगालैंड	31,860	26,546	83%	504	418	83%
सिक्किम	316	202	64%	6	7	116%
त्रिपुरा	92,854	76,855	83%	1,494	1,293	87%
अंडमान और निकोबार द्वीप	376	47	13%	6	3	50%
चंडीगढ़	1,256	1,256	100%	29	29	100%
दादरा नगर हवेली और दमन दीव	9,947	9,230	93%	214	205	95%
दिल्ली	29,976	29,976	100%	693	693	100%
जम्मू एवं कश्मीर	47,040	29,258	62%	725	483	67%
लद्दाख	1,307	876	67%	30	25	83%
लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
पुद्दूचेरी	15,995	10,765	67%	254	223	88%

स्रोत: पीएमएवाई - शहरी डैशबोर्ड; पीआरएस।

तालिका 13: स्मार्ट सिटी मिशन में उपलब्धियां (जनवरी 2025 तक, राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	कुल परियोजना		पूर्ण परियोजनाएं		जारी परियोजनाएं	
	परियोजना	राशि	परियोजना	राशि	परियोजना	राशि
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	18	511	7	40	11	472
आंध्र प्रदेश	280	6,589	235	5,661	45	928
अरुणाचल प्रदेश	75	1,032	53	583	22	449
असम	21	755	19	722	2	32
बिहार	151	5,219	124	4,163	27	1,056
चंडीगढ़	97	2,694	96	2,692	1	2
छत्तीसगढ़	520	4,443	493	4,004	27	439
दादरा एवं नगर हवेली	29	853	11	406	18	448
दमन एवं दीव	54	1,037	43	706	11	332
दिल्ली	129	1,034	120	874	9	160
गोवा	51	1,051	41	842	10	209
गुजरात	354	11,451	341	10,925	13	526
हरियाणा	164	2,079	141	1,700	23	379
हिमाचल प्रदेश	290	1,546	263	1,198	27	348
जम्मू और कश्मीर	288	6,597	265	6,166	23	430
झारखंड	26	1,847	26	1,847	-	-
कर्नाटक	917	13,808	891	13,397	26	411
केरल	177	3,003	153	2,571	24	432
लक्षद्वीप	8	11	8	11	-	-
मध्य प्रदेश	788	15,070	759	14,420	29	650
महाराष्ट्र	348	17,044	324	15,146	24	1,898
मणिपुर	27	513	19	247	8	266
मेघालय	13	517	10	453	3	64
मिजोरम	45	508	32	278	13	230
नगालैंड	40	689	38	591	2	98
ओड़िशा	107	3,589	104	3,427	3	162
पुद्दूचेरी	80	595	67	312	13	283
पंजाब	204	4,450	178	3,968	26	481
राजस्थान	579	8,640	565	8,355	14	285
सिक्किम	54	1,660	45	1,415	9	245
तेलंगाना	169	2,918	104	2,241	65	677
तमिलनाडु	730	17,954	717	17,626	13	328
त्रिपुरा	77	808	74	761	3	46
उत्तर प्रदेश	889	21,104	863	20,371	26	733
उत्तराखंड	33	1,144	31	909	2	235
पश्चिम बंगाल	226	1,604	220	987	6	618
कुल	**8,058**	**1,64,368**	**7,480**	**1,50,017**	**578**	**14,351**

स्रोत: अतारांकित प्रश्न संख्या 1396, आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, लोकसभा, 13 फरवरी, 2025।

तालिका 14: राज्यों में सेवा वितरण का स्तर (2020-21 में, % परिवारों ने प्रदत्त सेवाओं तक पहुंच की सूचना दी)

राज्य/यूटी	आवास या अहाते में पाइप से पानी की सुविधा	पेयजल का बेहतर स्रोत	उन्नत शौचालय तक विशिष्ट पहुंच
आंध्र प्रदेश	48.6%	99.2%	91.7%
अरुणाचल प्रदेश	92.0%	100.0%	84.0%
असम	26.5%	97.8%	80.1%
बिहार	28.5%	99.9%	78.9%
छत्तीसगढ़	57.6%	99.8%	89.7%
दिल्ली	83.0%	100.0%	87.9%
गोवा	99.6%	100.0%	91.2%
गुजरात	87.9%	100.0%	92.7%
हरियाणा	65.4%	99.8%	87.2%
हिमाचल प्रदेश	96.9%	99.8%	82.2%
झारखंड	32.4%	97.2%	83.0%
कर्नाटक	65.3%	98.3%	92.7%
केरल	32.9%	55.9%	98.2%
मध्य प्रदेश	65.9%	99.5%	88.6%
महाराष्ट्र	86.8%	99.9%	79.0%
मणिपुर	52.0%	82.5%	95.3%
मेघालय	73.8%	99.4%	85.4%
मिजोरम	96.6%	99.0%	99.9%
नगालैंड	39.8%	96.3%	83.2%
ओड़िशा	52.7%	98.4%	87.3%
पंजाब	80.6%	99.8%	84.4%
राजस्थान	86.6%	98.5%	85.6%
सिक्किम	97.3%	100.0%	82.5%
तमिलनाडु	44.5%	99.6%	88.3%
तेलंगाना	75.1%	99.7%	96.1%
त्रिपुरा	48.6%	99.3%	83.3%
उत्तराखंड	70.7%	100.0%	88.3%
उत्तर प्रदेश	46.6%	99.8%	81.6%
पश्चिम बंगाल	40.6%	99.3%	73.3%
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	98.2%	99.7%	96.4%
चंडीगढ़	99.6%	100.0%	93.2%
दादरा नगर हवेली और दमन दीव	61.6%	100.0%	68.0%
जम्मू एवं कश्मीर	88.3%	99.7%	84.6%
लद्दाख	61.2%	100.0%	78.0%
लक्षद्वीप	0.7%	72.8%	96.2%
पुद्दूचेरी	91.4%	98.7%	97.8%
अखिल भारतीय	61.5%	97.2%	86.0%

स्रोत: मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे, 2020-21, एमओएसपीआई; पीआरएस।

[1] Annual Report: 2023-24, Ministry of Housing and Urban Affairs,

[2] Demand No. 60: Ministry of Housing and Urban Affairs, Expenditure Budget, Union Budget 2025-26, https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe60.pdf.

[3] Report No. 5, 'Demands for Grants (2021-22)', Standing Committee on Housing and Urban Affairs, Lok Sabha, March 8, 2021.

[4] Urban Growth, Ministry of Housing and Urban Affairs, https://mohua.gov.in/cms/urban-growth.php.

[5] Pathways to Amrit Kaal, First Report of the High Level Committee on Urban Planning, Ministry of Housing and Urban Affairs, April 2023, https://www.nitiforstates.gov.in/public-assets/Policy/policy_files/RNC518L000551.pdf.

[6] Census of India, 2011.

[7] Cities as Engines of Growth, Niti Aayog, Asian Development Bank, May 2022, https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-05/Mod_CEOG_Executive_Summary_18052022.pdf.

[8] Economic Survey 2004-05, Union Budget 2005-06, https://www.indiabudget.gov.in/budget_archive/es2004-05/chapt2005/chap910.pdf.

[9] Reforms in Urban Planning Capacity in India, Niti Aayog, September 2021, https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2021-09/UrbanPlanningCapacity-in-India-16092021.pdf.

[10] State of Municipal Finances in India: A study prepared for the 15th Finance Commission of India, Indian Council for Research on International Economic Relations, March 2019, https://www.nitiforstates.gov.in/public-assets/Policy/policy_files/TNC499K000141.pdf.

[11] Report on Municipal Finances, Reserve Bank of India, November 2024, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/MUNICIPALFINANCES131124AE4D91D4DD4A4629A88DA79BF0C52C73.PDF.

[12] 15th Finance Commission Report for 2020-21 Ministry of Finance, https://fincomindia.nic.in/asset/pdf/commission-reports/XVFC_202021%20Report_English_Web.pdf.

[13] Sixth Report, Second Administrative Reforms Commission, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, 2007, https://darpg.gov.in/sites/default/files/local_governance6.pdf.

[14] Mandate, Ministry of Housing and Urban Affairs, as accessed on February 22, 2025, https://mohua.gov.in/cms/mandate.php.

[15] Main Report, India Transport Report, National Transport Development Policy Committee, January 31, 2014, https://www.aitd.net.in/NTDPC/NTDPC_Vol_02.pdf.

[16] Urban Transportation in Indian Cities, National Institute of Urban Affairs, January 2015, https://smartnet.niua.org/sites/default/files/resources/GP-IN1_UT.pdf.

[17] Annual Report 2023-24, Ministry of Roads, Transport, and Highways, https://morth.nic.in/sites/default/files/Annual-Report-English-with-Cover.pdf.

[18] Survey on Household Consumption Expenditure: 2023-24, Ministry of Statistics and Programme Implementation, January 2025, https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/Final_Report_HCES_2023-24L.pdf.

[19] Report No. 1, Standing Committee on Housing and Urban Affairs, 'Demands for Grants (2024-25)', Lok Sabha, December 10, 2024, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Housing%20and%20Urban%20Affairs/18_Housing_and_Urban_Affairs_1.pdf?source=loksabhadocs.

[20] Economic Survey of India, 2024-25, https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf.

[21] Transforming Indian Mobility, Niti Aayog, September 2018, https://e-amrit.niti.gov.in/assets/admin/dist/img/new-fronend-img/report-pdf/BCG.pdf.

[22] Moving Forward Together: Enabling Shared Mobility in India, Niti Aayog, 2018, https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-02/Shared-mobility.pdf.

[23] Report of the Technical Group on Urban Housing Shortage (TG-12), 2012-17, Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, https://nbo.gov.in/pdf/urban-housing-shortage.pdf.

[24] "Cabinet approves Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban 2.0 Scheme", Press Information Bureau, Ministry of Housing and Urban Affairs, August 9, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2043924.

[25] "Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban 2.0", Press Information Bureau, Ministry of Housing and Urban Affairs, August 10, 2024, https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=152011&ModuleId=3&reg=3&lang=1.

[26] Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban 2.0: Housing for All Mission Scheme Guidelines, September 2024, https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf.

[27] PMAY-U Achievement, Ministry of Housing and Urban Affairs, as accessed on February 17, 2025, https://pmay-urban.gov.in/uploads/progress-pdfs/67b57a2bb2a07-web.pdf.

[28] Report No. 1, 'Demands for Grants (2024-25)', Standing Committee on Housing and Urban Affairs, Lok Sabha, December 10, 2024, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Housing%20and%20Urban%20Affairs/18_Housing_and_Urban_Affairs_1.pdf?source=loksabhadocs.

[29] Affordable Rental Housing Complexes Scheme, Starred Question No. 60, Ministry of Housing and Urban Affairs, Lok Sabha, February 6, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AS60_BoNKQz.pdf?source=pqals.

[30] Report No. 17, 'Evaluation of Implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)', Standing Committee on Housing and Urban Affairs, Lok Sabha, March 20, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Housing%20and%20Urban%20Affairs/17_Housing_and_Urban_Affairs_17.pdf?source=loksabhadocs.

[31] Report on Indian Urban Infrastructure and Services, High Powered Expert Committee (Chair: Dr Isher Judge Ahluwalia), March 2011, https://icrier.org/pdf/FinalReport-hpec.pdf.

[32] Report No 18, 'Demands for Grants', Standing Committee on Housing and Urban Affairs, Lok Sabha, March 20, 2023, https://sansad.in/getFile/lsscommittee/Housing%20and%20Urban%20Affairs/17_Housing_and_Urban_Affairs_18.pdf?source=loksabhadocs.

[33] 'Financing India's Urban Infrastructure Needs: Constraint to Commercial Financing and Prospects for Policy Action', The World Bank, 2022, https://documents1.worldbank.org/curated/en/099615110042225105/pdf/P17130200d91fc0da0ac610a1e3e1a664d4.pdf.

[34] "AMRUT Scheme", Press Information Bureau, Ministry of Housing and Urban Affairs, December 22, 2022, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1885837.

[35] "AMRUT Scheme", Press Information Bureau, Ministry of Housing and Urban Affairs, December 22, 2022, https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1885837.

[36] Starred Question No. 47, Ministry of Housing and Urban Affairs, Lok Sabha, February 6, 2025, https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/2987641/1/AS47_ETfIxZ.pdf.

[37] "Smart Cities Mission extended till March 2025", Press Information Bureau, Ministry of Housing and Urban Affairs, July 3, 2024, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2030491.

[38] Unstarred Question No. 1396, Ministry of Housing and Urban Affairs, Lok Sabha, February 13, 2025, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU1396_4O1w6H.pdf?source=pqals.

[39] "Planning and Implementation of Swachh Bharat Mission Urban 2.0", Press Information Bureau, Ministry of Housing and Urban Affairs, July 31, 2023, https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1944255.
[40] Swachh Bharat Mission – Urban Dashboard, as accessed on March 7, 2025, https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess#cmt.
[41] Multiple Indicator Survey in India: 2020-21, Ministry of Statistics and Programme Implementation, March 2023, https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/MultipleIndicatorSurveyinIndiaf.pdf.
[42] Improved sanitation facilities and drinking water sources, Nutrition Landscape Information System, World Health Organisation, as accessed on March 7, 2025, https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/improved-sanitation-facilities-and-drinking-water-sources#:~:text=Improved%20drinking%2Dwater%20sources%20are,protected%20springs%20and%20rainwater%20collection.
[43] 'Service Level Benchmarks', Comptroller and Auditor General of India, December 2016, https://cag.gov.in/uploads/research_paper/RES-8-SLBResearchPaper-05ebe265de5ca12-17221415.pdf.

डिस्क्लेमर: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।